LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Tenth Session
(Seventeenth Lok Sabha)

(Vol. XXI contains Nos. 1 to 13)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI
EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan
Joint Secretary

Jai Mukesh Shukla
Director

Narad Prasad Kimothi
Sunita Thapliyal
Joint Director

Meenakshi Rawat
Kamala Subramanian
Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat
None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.
### CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. XXI, Tenth Session, 2022/1944 (Saka)
No. 12, Thursday, December 22, 2022/Pausha 01, 1944 (Saka)

<table>
<thead>
<tr>
<th>SUBJECT</th>
<th>PAGES</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>OBITUARY REFERENCES</td>
<td>10-12</td>
</tr>
<tr>
<td>OBSERVATION BY THE SPEAKER</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Request to members to follow covid norms</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>ORAL ANSWER TO STARRED QUESTION</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*Starred Question No. 221</td>
<td>14-15</td>
</tr>
<tr>
<td>WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Starred Question Nos. 222 to 240</td>
<td>16-85</td>
</tr>
<tr>
<td>Unstarred Question Nos. 2531 to 2760</td>
<td>86-638</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.*
PAPERS LAID ON THE TABLE 639-665
MESSAGES FROM RAJYA SABHA 666-668

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES
74th to 78th Reports 669

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
19th Report 670

STANDING COMMITTEE ON FINANCE
53rd Report 670

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
13th Report 671

STANDING COMMITTEE ON PERSONAL, PUBLIC
GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE
124th and 125th Reports 672

STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL
37th Report 673

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
24th and 25th Reports 674

STATEMENT CORRECTING REPLY TO STARRED
QUESTION NO.144 DATED 16th DECEMBER, 2022
REGARDING SETTING UP OF BULK DRUG PARKS 675-677

STATEMENTS BY MINISTERS 678-679,
684-686

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 12th Report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs

Shri Hardeep Singh Puri 678
(ii) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 134\textsuperscript{th} and 140\textsuperscript{th} reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2022-23) (Demand No. 46) pertaining to the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare and recommendations/observations contained in the 135\textsuperscript{th} and 141\textsuperscript{st} reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2022-23) (Demand No. 47) pertaining to the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare

Shri Mansukh Mandaviya

679

(iii) Covid-19 and the steps taken by the Government of India

Shri Mansukh Mandaviya

684-686

MOTION RE: 38\textsuperscript{th} REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

680
MATTERS UNDER RULE 377

(i) Regarding flight operations from Jharsuguda Airport in Odisha  
   Shri Nitesh Ganga Deb  682-683

(ii) Regarding setting up of a Sainik School in Godda/Deoghar  
     Dr. Nishikant Dubey  687-688

(iii) Need to take up construction of Sitamarhi-Laukahi railway line  
     Shri Ashok Kumar Yadav  688

(iv) Need to run Sainik Express (Train No. 14021/22) with adequate No. of coaches and provide stoppage of Aravali Express at Bissau Railway Station, Rajasthan  
     Shri Narendra Kumar  689

(v) Regarding rejuvenation of ponds and natural sites having water storage capacity  
    Shri Vivek Narayan Shejwalkar  690

(vi) Regarding development plan for widening of roads in Mumbai, Maharashtra  
    Shri Gopal Shetty  692-693

(vii) Need to take stringent action against people involved in business of adulterated food items  
    Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava  694
Regarding death of migrant workers of Bihar in other States

Shri Rajiv Pratap Rudy 695

Need to set up warehouses at Panchayats and Block levels for storage of agriculture produce in Maharajganj Parliamentary Constituency

Shri Janardan Singh Sigriwal 696

Regarding construction of Railway Over Bridge at level crossing No. B/159 on Bhildi-Samdari railway section in Gujarat

Shri Parbatbhai Savabhai Patel 697

Regarding remedial measures to prevent road accidents in the country

Shri Brijendra Singh 698

Need to start train services from Bhupdevgarh to Dharamjaigarh and from Dharamjaigarh to Raipur in Chhattisgarh

Shrimati Gomati Sai 700

Need to introduce rail service from Gaya to Daltonganj

Shri Sushil Kumar Singh 701

Need to enhance the honorarium of Aanganwadi workers

Shrimati Rama Devi 702

Regarding appointment of an Additional Director to oversee the CGHS Aarogya Kendras at Ajmer, Jodhpur and Kota in Rajasthan

Shri Bhagirath Choudhary 703
(xvi) Regarding rising trade deficit with China

      Shri Gaurav Gogoi

(xvii) Regarding preliminary Satellite Survey Report on human habitations in buffer zones in Kerala

      Shri K. Muraleedharan

(xviii) Regarding payments made under the MSME Delayed Payment Act, 2016

      Shri Balubhau alias Suresh Narayan Dhanorkar

(xix) Regarding upgradation in pay structure of the supervisory staff of Indian Railways

      Dr. D. Ravikumar

(xx) Regarding power dues of Andhra Pradesh to be received from Telangana

      Shri Bellana Chandra Sekhar

(xxi) Need to enhance the quota of appointments on compassionate grounds in companies carved out of Ordnance Factories

      Shri Shrirang Appa Barne

(xxii) Need to develop Jehanabad Railway station in Bihar as a Model Station

      Shri Chandeshwar Prasad

(xxiii) Need to provide free electricity to farmers and interest free loans through Kisan Credit cards

      Shri Ramshiromani Verma
(xxiv) Regarding sanctioning of an Indian Institute of Science Education and Research (IISER) at Hyderabad.

Shri B.B. Patil

(xxv) Need to develop Sikandarpur stadium in Muzaffarpur district as a world class cricket stadium.

Shrimati Veena Devi

JAN VISHWAS (AMENDMENT AND PROVISIONS)
BILL, 2022

MOTION TO REFER JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022 TO THE JOINT COMMITTEE

ANNEXURE – I
Member-wise Index to Starred Questions 688
Member-wise Index to Unstarred Questions 689-695

ANNEXURE – II
Ministry-wise Index to Starred Questions 696
Ministry-wise Index to Unstarred Questions 697

* Available in Master copy of Debate, placed in Library
OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER
Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS
Shrimati Rama Devi
Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki
Shri Rajendra Agrawal
Shri Kodikunnil Suresh
Shri A. Raja
Shri P.V. Midhun Reddy
Shri Bhartruhari Mahtab
Shri N.K. Premachandran
Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL
Shri Utpal Kumar Singh
LOK SABHA DEBATES

------------------

------------------

LOK SABHA

---------

Thursday, December 22, 2022/Pausha 01, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER in the Chair]
माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं अत्यंत दुःख के साथ, सभा को हमारे सात पूर्व साधियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं।

श्री कृष्णराजू अविभाजित ऑँध्र प्रदेश के कार्यकारी तथा नरसापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से बारहवीं और तेजस्वी लोकसभा के सदस्य थे।

श्री कृष्णराजू वित्त संबंधी समिति और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति (एमपीएलएडीएस) के सदस्य रहे।

श्री कृष्णराजू ने विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में केन्द्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री कृष्णराजू का निधन 82 वर्ष की आयु में 11 सितंबर, 2022 को हैदराबाद में हुआ।

श्री धनिक लाल मंडल बिहार के झांझापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छठी और सातवीं लोकसभा के सदस्य थे।

वे लोक सभा की नियम समिति के सदस्य भी रहे।

श्री मंडल ने भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री के रूप में तथा हरियाणा एवं राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया।

श्री मंडल तीन कार्यकालों के लिए बिहार विधान सभा के सदस्य रहे तथा वर्ष 1967 से 1969 तक बिहार विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री धनिक लाल मंडल का निधन 90 वर्ष की आयु में 13 नवम्बर, 2022 को चंडीगढ़ में हुआ।
श्री फूलचंद वर्मा मध्य प्रदेश के उज्जैन तथा शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से पॉचवीं, छठी, सातवीं, नौवीं और दसवीं लोकसभा के सदस्य थे।

एक योग्य सांसद, श्री वर्मा प्राक्कलन समिति और आवास समिति के सदस्य रहे।

इससे पहले, श्री वर्मा मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे तथा मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री फूलचंद वर्मा का निधन 83 वर्ष की आयु में 16 नवम्बर, 2022 को मुंबई में हुआ।

श्री गडाख तुकाराम गंगाधर महाराष्ट्र के अहमदनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री तुकाराम खाड़ा, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण तथा कृषि संबंधी समितियों के सदस्य रहे।

श्री गडाख तुकाराम गंगाधर का निधन 69 वर्ष की आयु में 2 दिसम्बर, 2022 को अहमदनगर, महाराष्ट्र में हुआ।

श्री टी. राधाकृष्णन तमिलनाडु के विरुध्नुगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री राधाकृष्णन वाणिज्य संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री टी. राधाकृष्णन का निधन 67 वर्ष की आयु में 11 दिसम्बर, 2022 को विरुध्नुगर, तमिलनाडु में हुआ।

श्री मोहन जेना ओडिशा के जाजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौदहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य थे। एक योग्य सांसद, श्री जेना ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री मोहन जेना का निधन 65 वर्ष की आयु में 12 दिसम्बर, 2022 को भुवनेश्वर में हुआ।
श्री रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा पंजाब के खड़ूर साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सोलहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री ब्रह्मपुरा लोक लेखा समिति, नियम समिति और विदेशी मामलों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

इससे पहले, श्री ब्रह्मपुरा चार कार्यकालों के लिए पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे तथा पंजाब सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा का निधन 85 वर्ष की आयु में 13 दिसम्बर, 2022 को चंडीगढ़ में हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संतान परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।

11.06hrs.  

_The Members then stood in silence for a short while._

ऊँ शांति: शांति: शांति:
11.07hrs.

OBSERVATION BY THE SPEAKER
Request to Members to follow covid norms

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपका ध्यान विश्व के क्षितिज देशों में कोविड-19 महामारी के पुनः सक्रिय होने की ओर आकृति करना चाहता हूं। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतहता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें। इस संबंध में जन-जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें।

मेरा विश्वास है कि जैसे हमारे देश ने पहले सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी इस प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे।

सभी माननीय सदस्यों के लिए गेट पर मास्क उपलब्ध कराए दिए गए हैं।
11.08hrs.

ORAL ANSWER TO QUESTION

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल, प्रश्न 221 – श्री सुधीर गुप्ता।

श्री सुधीर गुप्ता: अध्यक्ष जी, प्रश्न क्रमांक 221 ... (व्यवधान)

(Q. 221)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदन, में सदन को चलाना चाहता हूं। प्रश्न काल एक महत्वपूर्ण समय होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। सरकार जवाब देने को तैयार है। आप सदन चलाने में सहयोग प्रदान करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सदन जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाला सदन है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी-अपनी सीट पर बैठें। जिस विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं, उस विषय पर यदि शून्य काल में आपको बोलने के लिए अलाऊ न करें तो निश्चित रूप से सवाल उठा सकते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया माननीय सदन बैठ जाएं। सदन आपका है। सदन चलाने की सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। क्या आप प्रश्न काल चलाना नहीं चाहते हैं?

... (व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: क्या आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं? जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं और सदन में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि यदि आप नियम के तहत आएं, तो मैं निश्चित रूप से आपको अलाऊ करूंगा। आप कृपया बेठ जाएं।

... (व्यवधान)
The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

________

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.
12.01 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at One Minute past Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

The Minister of State in the Ministry of Road Transport and Highways and Minister of State in the Ministry of Civil Aviation (Gen. (Retd.) Dr. V. K. Singh): Sir, I beg to lay on the table:


[Placed in Library, See No. LT 8194/17/22]
(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Commission of Railway Safety, Lucknow, for the year 2021-2022.

(ii) A copy of Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Commission of Railway Safety, Lucknow, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8195/17/22]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Airports Economic Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Airports Economic Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8196/17/22]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Academy of Highway Engineers, Noida, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Academy of Highway Engineers, Noida, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8197/17/22]
A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956:

(i) S.O.3252(E) published in Gazette of India dated 20th July, 2022, notifying declaration of new National Highway in the State of Maharashtra.

(ii) S.O.3275(E) published in Gazette of India dated 21st July, 2022, notifying entrustment of National Highway in the State of Tamil Nadu.

(iii) S.O.3644(E) published in Gazette of India dated 3rd August, 2022, notifying entrustment of National Highway in the State of Karnataka.

(iv) S.O.3645(E) published in Gazette of India dated 3rd August, 2022, notifying declaration of new National Highway in the State of Karnataka.

(v) S.O.3724(E) published in Gazette of India dated 8th August, 2022, notifying entrustment of new National Highway in the State of Assam.

(vi) S.O.3725(E) published in Gazette of India dated 8th August, 2022, notifying entrustment of National Highway in the State of Assam.

(vii) S.O.3851(E) published in Gazette of India dated 17th August, 2022, notifying declaration of new National Highway in the State of Uttar Pradesh.
(viii) S.O.3853(E) published in Gazette of India dated 17th August, 2022, notifying entrustment of National Highway in the State of Bihar.

(ix) S.O.3854(E) published in Gazette of India dated 17th August, 2022, notifying entrustment of new National Highways to the state of Mizoram.

(x) S.O.4088(E) published in Gazette of India dated 31st August, 2022, notifying declaration of new National Highway in the State of Gujarat.

(xi) S.O.4346(E) published in Gazette of India dated 15th September, 2022, notifying declaration of new National Highway in the State of Karnataka.

(xii) S.O.4348(E) published in Gazette of India dated 15th September, 2022, notifying entrustment of National Highways to NHAI in the state of Rajasthan.

(xiii) S.O.4435(E) published in Gazette of India dated 22nd September, 2022, notifying entrustment of National Highway in the State of Rajasthan.

(xiv) S.O.4438(E) published in Gazette of India dated 22nd September, 2022, notifying entrustment of National Highway in the State of Rajasthan.
(xv) S.O.4611(E) published in Gazette of India dated 30th September, 2022, notifying declaration of highways as new National Highway in the State of Andhra Pradesh.

(xvi) S.O.4743(E) published in Gazette of India dated 6th October, 2022, notifying declaration of new National Highway in the State of Rajasthan.

(xvii) S.O.4911(E) published in Gazette of India dated 17th October, 2022, notifying declaration of new National Highways in the State of Rajasthan.

(xviii) S.O.5247(E) published in Gazette of India dated 11th November, 2022, notifying declaration of new National Highways in the State of Arunachal Pradesh.

(xix) S.O.5427(E) published in Gazette of India dated 22nd November, 2022, notifying entrustment of National Highway in the State of Bihar.

(xx) S.O.5435(E) published in Gazette of India dated 22nd November, 2022, notifying declaration of National Highway in the State of Karnataka.

(xxi) S.O.5572(E) published in Gazette of India dated 1st December, 2022, notifying declaration of National Highway in the State of Karnataka.
(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at Item No. (i) to (vi) of (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 8198/17/22]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 37 of the National Highways Authority of India Act, 1988:-

(i) S.O.3274(E) published in Gazette of India dated 21st July, 2022, notifying entrustment of National Highway in the State of Tamil Nadu.

(ii) S.O.3643(E) published in Gazette of India dated 3rd August, 2022, notifying entrustment of National Highway in the State of Karnataka.

(iii) S.O.3852(E) published in Gazette of India dated 17th August, 2022, notifying entrustment of new National Highway in the State of Bihar.

(iv) S.O.4087(E) published in Gazette of India dated 31st August, 2022, notifying entrustment of National Highway in the State of Gujarat.

(v) S.O.4347(E) published in Gazette of India dated 15th September, 2022, rescinding the Notification No. S.O.5566(E) dated 29th October, 2018.
(vi) S.O.4352(E) published in Gazette of India dated 16th September, 2022, notifying entrustment of new National Highway in the State of Bihar.

(vii) S.O.4436(E) published in Gazette of India dated 20th September, 2022, notifying entrustment of new National Highway in the State of Rajasthan.

(viii) S.O.4437(E) published in Gazette of India dated 22nd September, 2022, notifying entrustment of new National Highway in the State of Rajasthan.

(ix) S.O.5426(E) published in Gazette of India dated 22nd September, 2022, notifying entrustment of new National Highway in the State of Bihar.

(x) S.O.5662(E) published in Gazette of India dated 5th December, 2022, notifying entrustment of National Highway in the State of Rajasthan.

(xi) S.O.5714(E) published in Gazette of India dated 8th December, 2022, notifying entrustment of new National Highway in the State of Andhra Pradesh.

(xii) S.O.5715(E) published in Gazette of India dated 8th December, 2022, notifying entrustment of new National Highway in the State of Tamil Nadu.
(xiii) S.O.5716(E) published in Gazette of India dated 8th December, 2022, notifying entrustment of National Highway in the State of Haryana.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at Item No. (i) and (ii) of (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 8199/17/22]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल):

महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँं:-

(1) पावर सिस्टम ड्वेलपमेंट फ़ंड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 8200/17/22]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चेनाब बैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेनाब बैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library, See No. LT 8201/17/22]

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) विद्युत वितरण की अनुज्ञासि (पूंजी पर्याप्तता, उधार पात्रता की अतिरिक्त अपेक्षाएं और आचार संहिता) (संशोधन) नियम, 2022 जो 9 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 690(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 8201A/17/22]

(दो) विनियामक फोरम (संशोधन) नियम, 2022 जो 9 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 691(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 8202/17/22]

(तीन) विद्युत वितरण की अनुज्ञासि (पूंजी पर्याप्तता, उधार पात्रता की अतिरिक्त अपेक्षाएं और आचार संहिता) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 जो 28 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 852(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 8203/17/22]

(चार) विद्युत अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें (संशोधन) नियम, 2022 जो 29 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 857(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 8204/17/22]

(4) (एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखाप्रेक्षित लेखे।
केंद्रीय विद्युत विनियमक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8205/17/22]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, इम्फाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापेशित लें।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, इम्फाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8206/17/22]

(2) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापेशित लें।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8207/17/22]

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8208/17/22]
एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

[Placed in Library, See No. LT 8209/17/22]

एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो-दानिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो-दानिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

[Placed in Library, See No. LT 8210/17/22]

एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

[Placed in Library, See No. LT 8211/17/22]
(7) (एक) एमएसएमई-टूल रुम (सेंट्रल टूल रुम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिबद्ध की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रुम (सेंट्रल टूल रुम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

[Placed in Library, See No. LT 8212/17/22]

(8) (एक) एमएसई-टेकनोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रुम), ओँरंगाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिबद्ध की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसई-टेकनोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रुम), ओँरंगाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8213/17/22]

(9) (एक) एमएसई-टेकनोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रुम), इन्दौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिबद्ध की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसई-टेकनोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रुम), इन्दौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8214/17/22]
(10) (एक) एमएसएमई - टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखाप्रेषित लेखे।

(दो) एमएसएमई - टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8215/17/22]

(11) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखाप्रेषित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8216/17/22]

(12) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हैंड टूल), जालंधर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखाप्रेषित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हैंड टूल), जालंधर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8217/17/22]
(13) (एक) एमएसएमई - टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हेडराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई - टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हेडराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8218/17/22]

(14) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8219/17/22]

(15) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8220/17/22]
(16) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रॉसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखाप्रीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रॉसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8221/17/22]

(17) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रॉसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखाप्रीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रॉसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8222/17/22]

(18) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ़ ग्लास इंडस्ट्रीज), फिरोजाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखाप्रीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ़ ग्लास इंडस्ट्रीज), फिरोजाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8223/17/22]
एमएसएमई-टकनॉलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रेंज्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिशिष्ट लेखे।

(दो) एमएसएमई-टकनॉलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रेंज्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8224/17/22]

एमएसएमई-टकनॉलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिशिष्ट लेखे।

(दो) एमएसएमई-टकनॉलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8225/17/22]

एमएसएमई-टकनॉलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिशिष्ट लेखे।

(दो) एमएसएमई-टकनॉलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8226/17/22]
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्परेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकाल की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) (एक) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्परेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library, See No. LT 8227/17/22]

(स) (एक) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्परेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकाल की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[Placed in Library, See No. LT 8228/17/22]

(ट) (एक) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्परेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library, See No. LT 8229/17/22]

(घ) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकाल की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ड) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library, See No. LT 8230/17/22]
(घ)  (एक) मैसर्स बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मैसर्स बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library, See No. LT 8231/17/22]

(ड.)  (एक) मैसर्स बामर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता की वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मैसर्स बामर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library, See No. LT 8232/17/22]

(च)  (एक) ब्रह्मचारी कृक्कर एंड पॉलिमर लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मचारी कृक्कर एंड पॉलिमर लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library, See No. LT 8233/17/22]

(2) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8234/17/22]

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, निर्मित, प्रचालन करने या उनका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2022 जो 18 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं.फा.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./2-एनजीपीएल(08)/2022 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 8235/17/22]

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टेलीफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2022 जो 18 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं.फा.सं. पीएनजीआरबी/वाणि./2-एनजीपीएल/टेलीफ(3)/2019 खंड-चार (पी-4121) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 8236/17/22]

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टेलीफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2008 जो 18 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं.फा.सं. पीएनजीआरबी/वाणि./2-एनजीपीएल/टेलीफ(3)/2019 खंड-चार (पी-4121) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 8237/17/22]

(चार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभारों का उद्धारण) संशोधन विनियम, 2022 जो 2 अगस्त, 2022 की अधिसूचना सं.फा.सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018 (पी-3264) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 8238/17/22]
(पांच) तेल और प्राकृतिक गैस विनियमक बोर्ड (तेल, प्राकृतिक गैस विनियमक बोर्ड) द्वारा 2022 के अंतर्गत में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 8239/17/22]

(छह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमक बोर्ड (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमक बोर्ड) द्वारा 2022 के अंतर्गत में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 8240/17/22]

(4) (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमक बोर्ड (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमक बोर्ड) द्वारा 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमक बोर्ड (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमक बोर्ड) द्वारा 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[Placed in Library, See No. LT 8241/17/22]

(5) संविधान के अनुसार 151(1) के अंतर्गत 'तेल विपणन कंपनियाँ में एमआई, एचआई किए जाने वाले लोजिस्टिक प्रचालन' के बारे में भारत के नियंत्रक - महामारीप्रीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (2022 का संख्यांक 13) - निष्पादन लेखापरीक्षा।

[Placed in Library, See No. LT 8242/17/22]
(6) (एक) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली की वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 8243/17/22]

(7) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8244/17/22]

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 8244A/17/22]

(2) (एक) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षां प्रतिवेदन।
(तीन) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8245/17/22]
(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखाप्रीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library, See No. LT 8246/17/22]

(ख) (एक) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखाप्रीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library, See No. LT 8247/17/22]

(ग) (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखाप्रीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library, See No. LT 8248/17/22]

(घ) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
दिल्ली मेट्रो रेल कार्यालय लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिशिष्ट लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library, See No. LT 8249/17/22]

(4) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) - केन्द्रीय सरकार - (वाणिज्यक) – आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (2022 का संख्यांक 34) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

[Placed in Library, See No. LT 8250/17/22]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. ए. वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 8251/17/22]

(3) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8252/17/22]
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत खुबा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8253/17/22]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुजरात के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुजरात के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8254/17/22]

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंसकरण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल) महोदय, श्री विष्णुवदन टुडु जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड्की के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुडकी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8255/17/22]

(2) (एक) बेटवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) बेटवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8256/17/22]

(3) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8257/17/22]

(4) (एक) पोलावर्म प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) पोलावर्म प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8258/17/22]

(5) (एक) नॉर्थ इंडियान रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ वॉंटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।
(दो) नॉर्थ इस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8259/17/22]

(6) (एक) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8260/17/22]

(7) (एक) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।

(दो) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8261/17/22]

(8) (एक) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8262/17/22]

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉन बर्ली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8263/17/22]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library, See No. LT 8264/17/22]
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report that Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the Appropriation (No. 5) Bill, 2022 and the Appropriation (No. 4) Bill, 2022.

Sir, I also have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 21st December, 2022, adopted a motion concurring with the recommendation of Lok Sabha regarding constitution of a Joint Committee of the Houses on the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022 and also nominated 10 Members of the Rajya Sabha to serve on the said Joint Committee.

Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

"In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No.5) Bill, 2022, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 14th December, 2022, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

"In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No.4) Bill, 2022, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 14th December, 2022, and
transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

"I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 21st December, 2022, has adopted the enclosed motion concurring in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do join in the Joint Committee of the Houses of Parliament on the Bill further to amend the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002. The names of the Members of the Rajya Sabha to serve on the said Joint Committee are set out in the motion.

**MOTION**

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that this House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill further to amend the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 and resolves that the following Members of the Rajya Sabha be appointed to serve on the said Joint Committee:-

1. Shri Ghanshyam Tiwari
2. Shri Surendra Singh Nagar
3. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik
4. Shri Ram Chander Jangra
5. Shrimati Rajani Ashokrao Patil
6. Shri Sukhendu Sekhar Ray
7. Shri N.R. Elango
8. Shri Vikramjit Singh Sahney
9. Shri Sujeet Kumar
10. Shri S Niranjan Reddy”.

"In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Raja Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 21st December, 2022, agreed without any amendment to the Maritime Anti-Piracy Bill, 2022, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19th December, 2022."
12.05hrs.

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES
74th to 78th Reports

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): I beg to lay the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Government Assurances:-

1. Seventy-fourth Report (17th Lok Sabha) regarding 'Requests for Dropping of Assurances (Acceded to)'.

2. Seventy-fifth Report (17th Lok Sabha) regarding 'Requests for Dropping of Assurances (Not Acceded to)'.

3. Seventy-sixth Report (17th Lok Sabha) regarding 'Requests for Dropping of Assurances (Acceded to)'.

4. Seventy-seventh Report (17th Lok Sabha) regarding 'Requests for Dropping of Assurances (Not Acceded to)'.

5. Seventy-eighth Report (17th Lok Sabha) regarding 'Review of Pending Assurances Pertaining to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change'.
12.05¼ hrs.

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
19th Report

SHRIMATI NAVNEET RAVI RANA (AMRAVATI): Sir, I beg to lay the Nineteenth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Twelfth Report on 'Demands for Grants (2022-2023) of the Ministry of External Affairs'.

———

12.05½hrs

STANDING COMMITTEE ON FINANCE
53rd Report

SHRI JAYANT SINHA (HAZARIBAGH): I beg to present the Fifty-third Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Finance on the subject 'Anti Competitive practices by Big Tech Companies'.

———

… (Interruptions)
12.05¾hrs

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
13th Report

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): महोदय, मैं रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)’ के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

___________

... (व्यवधान)

माननीय सभापित: आइटम नंबर 17, श्री अरुण साव।

... (व्यवधान)
12.06hrs

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL,
PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE
124th and 125th Reports

SHRI MALOOK NAGAR (BIJNOR): I beg to lay the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice:-

(1) 124th Report on Action Taken on 114th Report of the Committee on Demand for Grants (2022-23) pertaining to the Legislative Department.

(2) 125th Report on Action Taken on 115th Report of the Committee on Demand for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Legal Affairs.

_____________

... (Interruptions)
12.06½hrs.

STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL
37th Report

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): महोदय, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयला का आयात-रुझान और आत्मनिर्भरता का मुद्दा' विषय के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

__________

... (व्यवधान)
SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): I beg to present the following reports (Hindi and English versions) of the Committee on Subordinate Legislation:

1. Twenty-fourth Report on the status of framing of Subordinate Legislation viz., Rules/Regulations, etc., under various Acts being administered by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and delay in laying of Rules; and


... (Interruptions)
STATEMENT CORRECTING REPLY TO
STARRED QUESTION NO.144 DATED 16TH DECEMBER 2022
REGARDING SETTING UP OF BULK DRUG PARKS*

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF
CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH MANDAVIYA): Sir, I beg
to lay a Statement (Hindi and English versions) correcting the reply given to
Supplementary Question to Starred Question No. 144 on 16 December, 2022
by Shri Nama Nageswara Rao, M.P. regarding Setting up of Bulk Drug Parks.

* Laid on the Table and also Placed in Library, See No. LT 8191/17/22.
Statement to be made on the floor of the House of Lok Sabha

I, Dr. Mansukh Mandaviya, while answering the supplementary questions for the Lok Sabha Starred Question No. 144 on 16.12.2022 regarding ‘Setting up of Bulk Drug Parks’ of Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, inadvertently mentioned ‘Telangana’ State instead of ‘Andhra Pradesh’ State, while giving reply to the supplementary question by the Hon’ble MP Shri Nama Nageswara Rao, on the selection of States under the Scheme of Promotion of Bulk Drugs Parks.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Reply given by me on 16.12.2022</th>
<th>Correct reply</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Applications have been received from total 13 states and the said applications from these 13 states have been evaluated. Hon’ble Member said that Hyderabad is also an importation place for Pharma industry. I would like to state to the Hon’ble Member that the application, received for the Hyderabad of Telengana, has been approved by the Govt. of India. Hyderabad will get rupees one thousand crore. Apart from it, other states are Himachal Pradesh and Gujarat. The applications of Bulk Drug Park in respect of these three states have been approved after evaluation.</td>
<td>Applications have been received from total 13 states and the said applications from these 13 states have been evaluated. Hon’ble Member said that Hyderabad is also an importation place for Pharma industry. I would like to state to the Hon’ble Member that the application, received for Andhra Pradesh has been approved by the Govt. of India. Andhra Pradesh will get rupees one thousand crore. Apart from it, other states are Himachal Pradesh and Gujarat. The applications of Bulk Drug Park in respect of these three states have been approved after evaluation.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(Dr. Mansukh Mandaviya)
Minister for Chemicals and Fertilizers and Health and Family Welfare
लोक सभा के सदन के पटल पर किया जाने वाला विवरण

मैं, डॉ. मनसुख मंडविया, ने दिनांक 16.12.2022 की ओकथ विभाग, रज्याधी और उर्वरक-मंत्रालय के 'बल्क फुग पार्क की स्थापना' से संबंधित लोकसभा के ताराकित प्रश्न संख्या 144 के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए, बल्क फुग पार्क के संवर्धन की सीमाना के तहत राज्यों के चयन पर माननीय संसद श्री नामा नागेश्वर राज राज्य के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए ‘आंध्र प्रदेश’ राज्य के सराय अनजाने में तेलंगाना राज्य का उल्लेख किया।

<table>
<thead>
<tr>
<th>दिनांक 16.12.2022 को मेरे द्वारा दिया गया उत्तर</th>
<th>सही उत्तर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>कुल मिलाकर 13 राज्यों से ऐलीकेशन आई थी और इन 13 राज्यों से जो ऐलीकेशन आई है, उनका इवेल्यूएशन किया गया। माननीय सदस्य ने कहा कि हेदरमर्ज भी फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहिए कि तेलंगाना के हेदरमार्ज के लिए जो ऐलीकेशन आई थी, उसे भारत सरकार ने अघूर्त किया है।</td>
<td>कुल मिलाकर 13 राज्यों से ऐलीकेशन आई थी और इन 13 राज्यों से जो ऐलीकेशन आई है, उनका इवेल्यूएशन किया गया। माननीय सदस्य ने कहा कि हेदरमार्ज भी फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के लिए जो ऐलीकेशन आई थी, उसे भारत सरकार ने अघूर्त किया है।</td>
</tr>
<tr>
<td>एक हजार करोड़ रुपये हेदरमार्ज के लिए मिलेगा। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और गुजरात हैं। इन तीन राज्य के लिए बल्क फुग पार्क के ऐलीकेशन को इवेल्यूएशन के बाद अघूर्त किया गया है।</td>
<td>एक हजार करोड़ रुपये आंध्र प्रदेश के लिए मिलेगा। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और गुजरात हैं। इन तीन राज्य के लिए बल्क फुग पार्क के ऐलीकेशन को इवेल्यूएशन के बाद अघूर्त किया गया है।</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(डॉ. मनसुख मंडविया)
रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
12.08½ hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 12th Report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs*

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 12th Report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs.

________

*Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8192/17/22.
12.09hrs.


* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8193/17/22.
12.09½hrs.

**MOTION RE: 38th REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI):** Sir, I beg to move:

“That this House do agree with the Thirty-eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 21st December, 2022.”

**नामीय सभापति: प्रश्न यह है :**

“कि यह सभा 21 दिसम्बर, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रण समिति के 38वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

______________________________

... (यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** Now, ‘Zero Hour’.

... (Interruptions)

12.10hrs.

*At this stage, Shri Mohammad Sadique, Shrimati Dimple Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

**संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रलाहद जोशी):** सर, अभी चर्चा बहुत बाकी है और बीएसी में जो निर्णय हुआ है, उसके अनुसार कल हमारा सदन Sine Die होने वाला है।... (यवधान) ऐसा स्पष्टतः साहब ने बीएसी में कहा था।... (यवधान) वह भी एक निर्णय हुआ है और दो-तीन बिल्स हैं।... (यवधान) सर, मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से एक डिटेल्ड वक्तव्य दिया है।... (यवधान) उसके बाद मिलिट्री का एक स्टेटमेंट आया है।
Opposition should believe, at least, in the statement of our military personnel. 

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

... (Interruptions)

Very important business remains to be discussed. Please go back to your seats.

... (Interruptions)

Manniy Sambhapti: कृपया सहयोग कीजिए। चर्चा होने दीजिए। सदस्यों को जीरो अवर में अपनी बातें रखने दीजिए।

... (व्यवधान)

Manniy Sambhapti: कल Sine Die होने वाला है। माननीय सदस्यों के लिए आज का दिन उपलब्ध है तथा और भी सदस्य जो बोलना चाहते हैं, उनको भी अवसर दिया जा सकता है।

... (व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

… (Interruptions)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.12 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair)

14.02 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

माननीय सभापति: माननीय सदस्यों, आइटम नंबर – 23, नियम 377 के तहत मामले।

श्री जुगल किशोर शर्मा – उपस्थित नहीं।

श्री राजीव प्रताप रूडी – उपस्थित नहीं।

श्री नितेश गंगा देब जी।

(i) Regarding flight operations from Jharsuguda Airport in Odisha

SHRI NITESH GANGA DEB (SAMBALPUR): Sir, Veer Surendra Sai Airport at Jharsuguda in Odisha was inaugurated by the hon. Prime Minister of India on 22nd September, 2018 under the Regional Connectivity Scheme (UDAN).

14.02½ hrs.

At this stage, Shri Ravneet Singh, Shri Kodikunnil Suresh, and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.
I am very thankful to the former Minister of Civil Aviation for commissioning All Weather Instrument Landing System (ILS) which provides technology of both vertical and horizontal guidance to pilots during landing. The flights from this airport have been cancelled frequently in recent months as a result of which air passengers are facing lots of difficulties. There is no direct Air India flight to Delhi from this airport till today.

My Parliamentary Constituency Sambalpur is the industrial, mining, and commercial hub of western Odisha. The air passengers of western Odisha as well as neighbouring States depend on this airport for travelling. I urge the hon. Minister of Civil Aviation to look into the matter urgently and ensure regular flights not only to Delhi but also to other metro cities like Bengaluru, Mumbai, and Kolkata at the earliest.

माननीय सभापति : माननीय सदस्यों, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।
कल हाउस समास हो रहा है। जो सदस्य अपने मुट्ठे उठा रहे हैं, उनको बोलने दीजिए।
आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

... (व्यवधान)
STATEMENTS BY MINISTERS-Contd.

(iii) Covid-19 and the steps taken by the Government of India

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) : महोदय, वैद्यक कोविड-19 महामारी को देखते हुए मैं सदन में एक वक्तव्य देना चाहता हूँ।

सर, कोविड-19 महामारी, आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले तीन वर्षों में, वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसे लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। लेकिन पिछले एक साल से भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके साथ-साथ 5.87 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यू.एस.ए., फ्रांस, ग्रीस, इटली आदि जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी, चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने proactive, pre-emptive, whole of Government and whole of Society approach के साथ, शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिले हैं।

तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आयुष्मान भारत हेल्थ इंडिया स्टूडियंट्स के लिए स्वास्थ्य आयुष्मान भारत हेल्थ इंडिया स्टूडियंट्स के लिए मिशन इलाज में राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है।... (व्यवधान)
केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने साथ मिलकर 220.02 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमाण रचा है, जिसमें पात्रता वाले 90 प्रतिशत आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रीकॉस्शन डोज भी दिया जा चुका है। (व्यवधान) कोविड-19 के नियम में चल रहे लगातार प्रवेश के अंतर्गत और विशेष में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीन स्थलित पर नजर रख रहा है। (व्यवधान) कोविड-19 के बदलते वैरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जुनौतियां पैदा हो रही हैं, उस पर सरकार कदम उठा रही है। (व्यवधान) राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। (व्यवधान) राज्यों को जीनोम सिक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सिक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वैरिएंट आता है तो समय से उसकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़े कदम उठाए जा सकें। (व्यवधान) अन्य वाते तथ्यात्मक और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड्स सेनिटाइज करना, respiratory hygiene का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। (व्यवधान)

राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रीकॉस्शन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रीकॉस्शन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। (व्यवधान) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RTPCR random sampling भी आज शुरू कर दी गई है। (व्यवधान)

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में "Test-Track-Treat-Vaccination - COVID appropriate behaviour का पालन" नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट करता रहा है और उसे आगे भी चालू रखने। (व्यवधान)

इस वैक्सीनाक महामारी के नियम, नियंत्रण के लिए हम संकलपित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। (व्यवधान)
महोदय, मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूँ।... (व्यवधान) सभी माननीय सदस्य, लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रीकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सत्यक रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।... (व्यवधान)

हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना रूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दूसर संघर्ष के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है।... (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT8193A/17/22]
14.09 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377-Contd.

(ii) Regarding setting up of a Sainik School in Godda/Deoghar

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): I wish to draw your kind attention towards the backwardness of the Santhal Pargana region in general and the area(s) of Godda and Deoghar, in particular, which happens to be my Lok Sabha constituency. The overall condition of education in this region is a subject-matter of neglect despite the fact that since time immemorial, the entire region was considered to be a harbinger of ancient education practices and dissemination of social norms and mores. There has been a vociferous demand for establishing a Sainik School in Godda/Deoghar so that this area could also share the pride of having quality education for their children.

In February, 2016, the then hon. Minister of Defence visited my constituency and after acknowledging the backwardness of the region, he was kind to announce the setting up of a Sainik School in Godda/Deoghar. Further, as a consequence to the said announcement, the project for establishing a Sainik School was immediately sanctioned by the Ministry of Defence.
However, it is a matter of concern that since then, more than five years have elapsed, but the entire Project has not witnessed any visible progress.

(iii) **Need to take up construction of Sitamarhi-Laukahi railway line**

Shri Ashok Kumar Yadav (Madhubani): संभावित महोदय, मैं मिठिलांचल के सीमावर्ती तीन जिलों के लोगों तथा इस क्षेत्र के चहुंखुडी विकास हेतु बहुप्रतिक्षित सीतामढ़ी से निर्मली वाया सुसंद, साहारघाट, जयनगर, लौकही नई रेल लाइं, जिसकी परिकल्पना एवं धरातल पर उतारने का प्रयास एक दशक पहले किया गया था, को यथाशीघ्र शुरू करने का आग्रह करता हूँ।... (व्यवधान)

ज्ञातव्य हो कि रेलवे सूची के हवाले से समाचार पत्रों में मार्च 2011 एवं अप्रैल 2012 में प्रकाशित खबरों के अनुसार इस रेल लाइं का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया था एवं रेलवे ने इस रेल लाइं के लिए भू-अधिग्रहण हेतु 30 करोड़ रुपये भी आवंटित किये थे तथा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भी शुरू कर दी थी। दी गई जानकारी के अनुसार 189 किलोमीटर लंबी रेल लाइं के लिए 6 वर्षीय योजना पर 693 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था। इससे सीतामढ़ी व मधुबनी जिले के कोसी पार के सहस्र संख्याओं से दूसरी घट जाएगी।... (व्यवधान)
(iv) Need to run Sainik Express (Train No. 14021/22) with adequate No. of coaches and provide stoppage of Aravali Express at Bissau Railway Station, Rajasthan.

श्री नरेंद्र कुमार (झुंझुनू): सभापति महोदय, झुंझुनू जिला सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है एवं शेखावाटी इलाके का महत्वपूर्ण भाग है। यहां से हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन रेल से यात्रा करते हैं। गाड़ी संख्या 14021/14022 सैनिक एक्सप्रेस में केवल 14 डिब्बे हैं, जिससे लोगों को जगह न मिलने की वजह से भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। (व्यवधान) गाड़ी संख्या 14021/14022 सैनिक एक्सप्रेस को फुल लोड (1 ए.सी. कोच सहित) 24 कोच से चलाया जाए तथा बिसाज रेलवे स्टेशन पर अरावली एक्सप्रेस (श्रीगंगानगर से बांद्रा ट्रेन सं.14701/14702) सहित लम्बी दूरी की एक भी ट्रेन का ठहराव नहीं होने के कारण हजारों की संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिसाज रेलवे स्टेशन पर अरावली एक्सप्रेस श्रीगंगानगर से बांद्रा ट्रेन सं. 14701/14702 का ठहराव करवाया जाए। (व्यवधान)
(v) Regarding rejuvenation of ponds and natural sites having water storage capacity.


माननीय सभापति श्री विवेक नारायण शेजवलकर (व्यालियर): समापति महोदय, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 अप्रैल, 2022 को देश के प्रत्येक जिले में 75-75 तालाब के निर्माण के लिए अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया गया था। (व्यवधान) अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य तालाबों के निर्माण के साथ-साथ उन्हें पर्यटन के लिए आकर्षक बनाना, तालाब के चारों तरफ पेड़-पौधे लगाना एवं लोगों को तालाबों के महत्व के प्रति जागरूक करना भी है। (व्यवधान) मुझे यह बताते हैं अति प्रसन्नता हो रही है कि मेरे व्यालियर जिले में अमृत सरोवर के लिए 100 स्थलों का चिन्हांकन किया गया है। वर्तमान तक व्यालियर जिले में 58 सरोवरों का निर्माण हो चुका है। इन अमृत सरोवरों में बारिश का पानी संरक्षित होने से ग्रामीणों को बहुत फायदा मिल रहा है। जल संरक्षण के लिए यह योजना बहुत कारगर साबित हो रही है। (व्यवधान) मेरा आयार है कि ग्रामीण अंचल में अमृत सरोवर योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद सरकार को शहरी निकायों एवं इसके आसपास पुराने तालाबों एवं जल संग्रह स्थलों के पुनरुद्धार करने पर गृहीतता से विचार करने के साथ-साथ रेनवाटर हावेस्टिंग (वर्षा जल संचयन) के लिए जनजागृतिकारक अभियान चलाना चाहिए। (व्यवधान) क्या जलशक्ति मंत्रालय इस संबंध में कोई कदम उठाने जा रहा है? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, मेरा आप सभी से निर्देश है कि आप अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रतीजा, आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे सदस्य बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। यह आपको शोभा नहीं देता है।

(व्यवधान)
माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

**14.14 hrs.**

*The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.*

________
16.00 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Sixteen of the Clock.

(Shrimati Rama Devi in the Chair)

... (व्यवधान)

16.0½ hrs.

MATTERS UNDER RULE 377-Contd.

माननीय सभापति : श्रीमती गोमती साय।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री गोपाल शेट्टी।

... (व्यवधान)

16.01 hrs

At this stage, Shri Hibi Eden, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Dayanidhi Maran and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

(vi) Regarding development plan for widening of roads in Mumbai, Maharashtra.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): महोदया, आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री जी वर्ष 2027 तक देश की इकॉनमी को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस घोषणा से पूरे देश में विशेष कर युवाओं में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है और हमारे प्रधान मंत्री जी औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Sector) से लेकर Infrastructure Development पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

उद्देश्य के लिए देश में वर्ष 2011 में Infrastructure Development के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किये गये थे और आज वर्ष 2022 में इसे बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इस प्रकार से देश में नए रास्तों के निर्माण, रेलवे लाइन के विस्तारकरण, एयरलाइंस इत्यादि के लिए भारी बढ़ोतरी करने का निर्णय ही नहीं लिया गया, बल्कि लेज गति से
काम हो रहा है। मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री जी ने राज्य की ओर से 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनमी के संकल्प में 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान महाराष्ट्र की ओर से देने का संकल्प किया है। चूँकि, मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी है, इसलिए राज्य सरकार के इस संकल्प में मुंबई शहर का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। यह भी बिदित ही है कि केंद्र सरकार के राजस्व में मुंबई की ओर से बढ़े पेमाने पर भिन्न-भिन्न टेक्स के रूप में पैसा आता है। लेकिन, मुंबई शहर इन दिनों ट्रैफिक की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहा है और लीक आवर्त में 10-15 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, जिससे व्यापारी वर्ग ही नहीं, बल्कि आम नागरिक और नौकर वर्ग को भी हर रोज़ चार-चार घंटे यातायात के अवरुद्ध होने की वजह से गंवाने पड़ते हैं। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी के केन्द्रीय नेतृत्व में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी आज पूरे देश में जो सड़क निर्माण का काम कर रहे हैं, उसकी शुरुआत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर से ही हुई थी। अतः मेरी सदन के माध्यम से सरकार से मांग है कि जैसे मुंबई शहर के लिए मेट्रो रेल के लिए केंद्र सरकार ने योगदान दिया है, उसी प्रकार से मुंबई की सड़कों को भी तेज गति से चौड़ा करने के लिए डेवलपमेंट प्लान (DP) में बताये गए सभी रास्तों के निर्माण के लिए आर्थिक योगदान देकर निक्षित समय सीमा में यहाँ की यातायात समस्या को दूर करने में अपना योगदान देने की कृपा करें। इसके लिए मैं और मुंबई शहर के सभी नागरिक सरकार के आभारी होंगे। (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री सुशील कुमार सिंह।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री मनसुखमंडल धनजीभाई वसावा।

... (व्यवधान)
(vii) Need to take stringent action against people involved in business of adulterated food items.

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरुच): महोदया, आज देश में सब्जी और फल आदि पर कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से किसान पैदावार बढ़ाकर अधिक मुनाफा कमाने की होड़ में है, लेकिन शरीर को स्वस्थ व जवान बना रखने के लिए प्रयोग हो रहे फल व सब्जियों का असर मानव जीवन पर विपरीत पड़ रहा है। कीटनाशक से प्रभावित सब्जी या फल फायदे से अधिक शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेस्टिसाइड युक्त फल और सब्जी खाने से कैसर जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। कभी कभी हमारे देश में दूध की नदियां बहा करती थीं, अब वहां हर चीज़ में मिलावट का आलम है तथा दूध भी इससे अछूता नहीं रहा है। मिलावटी खान-पान स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इस संबंध में सरकार से मेरा आयोजन है कि किसान और जो लोग लोभ के कारण मिलावटी वस्तुएं बेचने के काले कारोबार में जुटे हुए हैं, उन पर सख्त कार्रवाई से इस पर तत्काल पाबंदी लगाई जाए।
(viii) Regarding death of migrant workers of Bihar in other States

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Recently, there has been an alarming rise in the number of cases in which migrants from Bihar have lost their lives in other States. More than half of the households in Bihar have male members of their family who have ventured out in search of jobs and better remuneration. The highest migration takes place from the pockets of Saran, Munger, Darbhanga, Kosi, Tirhut and Purnia. In Delhi alone, 18 per cent of all the migrants come from Bihar. The average age of the migrants is 32 years and more than 90 per cent of them work in private factories or are engaged as casual workers. Reports have highlighted the rising number of incidents in which migrant workers from Bihar have lost their lives. On 5th August 2022, one worker was killed and 2 others were injured in Jammu and Kashmir by terrorists. Tragic deaths have been reported, ranging from causes such as collapse of buildings which killed three brothers from Chapra, accidents involving fires where eleven workers from Bihar perished, as well as the death of four laborers from Bihar in road accidents. These cases highlight the lack of a robust safety and security mechanism when it comes to the protection of migrant workers from Bihar as well as migrants in general in their areas of employment. There is thus an imminent need to address this issue and ensure that more precious lives of workers from Bihar and across the country are not lost due to such tragic and avoidable incidents.
(ix) Need to set up warehouses at panchayats and block levels for storage of agricultural produce in Maharajganj Parliamentary Constituency

श्री ज्योति शर्मा (महाराजगंज): माननीय सभापति जी, मेरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज, बिहार मुख्य रूप से कृषि आधारित ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के किसानों द्वारा कृषि से उत्पादित फसलों को सुरक्षित, भंडारित करने के लिए भंडार गृहों की बहुत ही कमी है। किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे स्वयं भंडार गृह बनवा सकें। सरकार से सहयोग प्राप्त कर भंडार गृह निर्माण की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है कि किसान इसका व्यापक लाभ लेकर भंडार गृहों का निर्माण कर सकें। इस परिस्थिति में किसानों को सुरक्षित भंडारण गृहों के अभाव में अपने उत्पादित फसलों को कम दामों में बिक्री करनी पड़ती है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज, बिहार के ग्रामीण इलाकों में पंचायत या प्रखंड स्तर पर छोटे मझौले क्षमतावाले अत्याधुनिक ग्रामीण भंडारण गृहों का निर्माण सरकारी स्तर से कराया जाये ताकि किसानों को लाभ मिले।
(x) Regarding construction of Railway Over Bridge at level-crossing No. B/159 on Bhidi-Samdari Railway Station in Gujarat

Shri Prabhatbhai Swabhav Patel (Navasakanta): I am addressing this matter to Hon'ble Shri Bhimji - Sambhaji, who is the Officer-in-Charge (OIC) of the Bhidi-Samdari Railway Station in Gujarat. The level-crossing No. B/159 is located at the Bhidi-Samdari railway station. The level-crossing is numbered 54 and is situated in the Bhabhar district of Gujarat. It is near the Bhidi-Samdari railway station, which is around 150 km away from the main railway station. The level-crossing is situated in the Bhabhar district and is used by various trains running on the lines. The level-crossing is situated near the Bhidi-Samdari railway station, which is around 150 km away from the main railway station.

At present, the level-crossing is not equipped with any safety measures, which poses a significant risk to the safety of the public. Therefore, it is necessary to construct a Railway Over Bridge (ROB) at the level-crossing No. B/159 to ensure the safety of the public and prevent accidents.

The ROB will be constructed using 50% of the available budget allocated for this project. The construction of the ROB will be completed within the specified time frame and will be monitored by the relevant authorities.

In conclusion, the construction of the Railway Over Bridge at level-crossing No. B/159 is a necessary step to ensure the safety of the public and prevent accidents. The project will be completed within the specified time frame and will be monitored by the relevant authorities.
(xi) Regarding remedial measures to prevent road accidents in the country

Shri Brijendra Singh (Hisar): सभापति महोदया, आज के समय में सड़क सुरक्षा एक प्रमुख विषय है। असुरक्षित सड़कों कई बार वाहन चालकों के दैनिक आवाजाही को दयनीय बना देती है। दुर्घटना संभावित क्षेत्र, अवैध कट व गड्ढे, सड़कों पर अनियंत्रित जानवरों का अचानक प्रवेश तथा रात में प्रकाश की कमी कुछ ऐसे कारण हैं, जो दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बनते हैं। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में हर साल 10 से 11 हजार सड़क हादसे होते हैं, जिसमें से करीब पांच हजार लोगों की मौत हो जाती है। यह सभी हादसे असुरक्षित सड़कों के कारण होता है।

दैनिक जागरण के रिपोर्ट ने सड़क विशेषज्ञों के साथ 22 जिलों में 6227 किलोमीटर लंबी 218 प्रमुख सड़कों का ऑडिट किया और पाया कि 255 सड़कें बाल्टनेक हैं, 377 दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, 1013 अवैध कट हैं, 104 में स्ट्रीट लाइट नहीं हैं और 725 जगह सड़कों के डिजाइन में कमी है। ... (व्यवधान)

इस सन्दर्भ में, मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि सर्वेक्षण में बताई गई कमियों को तुरंत प्रभाव से दूर करने के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति का रोका जा सके। इसके अतिरिक्त सड़क डिजाइन की कमियों को दूर करने के लिए एवं सड़कों के नियमित और उचित रखरखाव के लिए एक विशेष तलाश समिति का गठन किया जाए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही साधे चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

16.14 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Sixteen of the Clock.
16.30 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Sixteen of the Clock.

(Shrimati Rama Devi in the Chair)

16.30¼ hrs.

At this stage, Shri Hibi Eden, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Gurjeet Singh Aujla and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)
16.30½hrs

MATTERS UNDER RULE 377* - Contd.

(xii) Need to start train services from Bhupdevgarh to Dharamjaigarh and from Dharamjaigarh to Raipur in Chhattisgarh

Srimati Gomati Sar (Raigarh): Rail Corridor Project from Bhupdevgarh to Raigarh and from Raigarh to Chhattisgarh is progressing smoothly and has been delayed in November 2019 due to various reasons. The project is expected to be completed in the near future. The Railways Department is working towards the successful completion of this project.

The project is expected to benefit a large number of people in the region and is expected to boost the local economy. The project is expected to be completed by December 2022.

* Treated as laid on the Table.
(xiii) Need to introduce rail service from Gaya to Daltonganj

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): बिहार का औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र गया एवं औरंगाबाद दो जिलों में विस्तृत है तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ये दोनों ही जिले भारत सरकार द्वारा घोषित आकांशी जिलों की सूची में शामिल है यथाप्रति विगत एक दशक में केंद्र सरकार के प्रयासों से इन आकांशी जिलों में विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं गृह मंत्रालय के विशेष प्रयासों के तहत सड़क निर्माण और सड़क संपर्कों की सज्जनता से जहाँ बेहतर सड़क संपर्कों से विकास दर को गति मिली है वही उग्रवाद पर लगाम कसना भी संभव हो सका है।

दक्षिणी बिहार के ये दोनों जिले गया–औरंगाबाद झारखंड राज्य के चतरा, हजारीबाग आदि उग्रवाद प्रभावित जिलों से सटे हैं। वर्षों से स्थानीय लोगों की मांग है कि उग्रवाद प्रभावित इस क्षेत्र में गया, शेशघाटी, बांके बाजार, इमामगंज, दुर्गिया होते हुए झारखंड में डाललेंगा को रेल सेवा से जोड़ा जाए। रेल सेवा का यह विस्तार बेहतर स्थानीय संपर्क के साथ उग्रवाद नियंत्रण में उपयोगी होगा।
(xiv) Need to enhance the honorarium of Aanganwadi workers

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): केंद्र सरकार द्वारा 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण एवं शैक्षणिक विकास के उद्देश्य से समेकित बाल विकास परियोजना अर्थात् आगंतुकों योजना आरम्भ की गई थी जिसके तहत आगंतुकों योजना द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया जा रहा है। मेरे गृह राज्य बिहार सहित देश में लाखों महिलाएं आगंतुकों सेविका एवं सहायिका के रूप में काम करते हुए नौकरियों की देखरेख और उनके बीच विकास में सराहनीय योगदान दे रही हैं परन्तु, उनके लिए उन्हें उचित मानदेय नहीं मिलता है। योजना के शुरुआत में काफी कम मानदेय पर इन आगंतुकों सेविका एवं सहायिकाओं की बहाली हुई थी जिसमें समय-समय पर कुछ बढ़ोतरी भी हुई है परन्तु महंगाई के हिसाब से यह नाकाफी है। इसके लिए आगंतुकों सेविका एवं सहायिकाएं आंदोलनरत हैं।

अतः सरकार से अनुरोध है कि आगंतुकों केन्द्रों में कार्यकर्ता सेविका एवं सहायिकाओं की कठिनाइयों को देखते हुए महंगाई के हिसाब से उनके मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाये।
(xv) Regarding appointment of an Additional Director to oversee the CGHS Aarogya Kendras at Ajmer, Jodhpur and Kota in Rajasthan

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): गत अप्रैल 2019 में देश के 33 डाक औषधालयों का सीजीएचएस में विलय हुआ जिसके तहत राजस्थान प्रदेश में भी अजमेर, जोधपुर और कोटा औषधालयों को सीजीएचएस में विलय कर उनका प्रशासनिक नियंत्रण ए.डी., सीजीएचएस, जयपुर के अधीनस्थ कर दिया गया। जिससे उक्त तीनों स्थानों के पेशनरों के विभिन्न कार्य जैसे कार्ड बनवाना, कार्ड का नवीनीकरण, प्रतिबंधित दवाएं आदि हेतु बार-बार मजबूरी वश जयपुर जाना ही पड़ता है। इससे ए.डी. कार्यालय, जयपुर पर भी काम का बोझ भी बढ़ गया है। ज्ञात रहे कि राजस्थान में अजमेर में जोधपुर और कोटा कल्याण केन्द्रों से सबसे अधिक पेशनर कार्ड अजमेर के पास है। जहां अजमेर में 1228 पेशनर कार्ड हैं जबकि जोधपुर में 1060 और कोटा में केवल 299 पेशनर कार्ड हैं। चूंकि अजमेर, जोधपुर और कोटा के मध्य में भी स्थित है। दूर्व में, डाक विभाग में डी.डी.जी. मेडिकल के जिलने पद थे, उन्हें सीजीएचएस में डाक औषधालयों के साथ विलय कर दिया गया था।

डी.डी.जी. मेडिकल के 05 पद ऐसे भी थे जिनका विलय डाक औषधालयों से सीजीएचएस में हुआ था तो इनमें से 01 पद को नए ए.डी. कार्यालय के लिए अजमेर को दिया जा सकता है। अतः अजमेर, जोधपुर एवं कोटा आरोपी केन्द्रों के लिए अजमेर में एक अपर निदेशक का नवीन पद चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत करने की सक्षम विभागीय कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें।

साथ ही यहां स्वीकृत कार्यन्वयन के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के साथ-साथ संचालित भवन जो कि डाक विभाग का 100 वर्ष पुराना भवन हैं, के नियमित स्करखानएवं भारतीयकरण हेतु आवश्यक बजट भी स्वीकृत करावे।
(xvi) Regarding rising trade deficit with China.

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Post-June 2020, India’s imports from China surged despite the Galwan clash. The trade deficit with China was 73.31 Billion USD in 2021-22. The ‘country of origin’ tag in the GeM portal won’t automatically make India self-reliant. If the Government believes so, it should explain how the measure has impacted the trade. The Finance Minister says that the Government takes the ‘capital expenditure route’ to guarantee growth. The same Government has informed the House that ‘most of the goods imported from China are’, inter alia, ‘capital goods’. The Government imports capital goods from China amidst border tensions even after Governing for eight years and taking the so-called ‘capital expenditure route’. India’s laptop imports surged tremendously during 2022. Fully manufactured laptops make up the largest quantity of fully manufactured imported items from China. This trend is amidst cyber attacks on servers at AIIMS from IP addresses of emails from China. Ever since the border tension between India and China in May 2020, Chinese hacker groups had been continuously targeting Indian Public Sector Companies. I demand the Government to explain why India’s exports to China have fallen by 36.4% in January-September 2022 whereas India’s imports from China have risen by 31% amidst border tensions.
Regarding preliminary Satellite Survey Report on human habitations in buffer zones in Kerala

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Eco-Sensitive Zones (ESZ) areas are notified in India around Protected forests, National Parks and Wildlife Sanctuaries. The purpose of declaring ESZs is to create some kind of ‘shock absorbers’ to the protected areas by regulating and managing the activities around such areas.

Recently, Preliminary Satellite Survey Report prepared by the Kerala State Remote Sensing and Environment Centre has been released to ascertain the buffer zones in the State. Serious concerns have been raised over the preliminary satellite survey report on human habitations in eco-sensitive zones or buffer zones.

The report's lack of clarity has led to widespread complaints. In my Parliamentary Constituency, Vadakara, there is a vast area adjacent to the protected forests. Villages like Chakkittapara, Koothali, Changaroth, Maruthongra etc. are located in the buffer zone of the Malabar Protected Forest. The residents of these areas are confused due to the lack of clarity in the Preliminary Satellite Survey Report. The report says that there are 49,330 buildings in the buffer zone across the State. It is factually incorrect. There are more than two lakh buildings in the buffer zone. Many of survey numbers have wrongly been given and locations have not been clearly indicated.

Hence, I request that field survey in the above context should be done properly.
(xviii) Regarding payments made under the MSME
Delayed Payment Act, 2016

SHRI BALUBHAU ALIAS SURESH NARAYAN DHANORKAR
(CHANDRAPUR): Minister of MSME, Government of India has passed MSME
Delayed Payment Act, 2016 but the proceeding involve takes too much time
for getting Recoveries for supply of materials and payment pertaining to
provided services. Approximately, 60% of the MSME’s after Award from MSME
Council could not get payment in time.

I propose that on supply of manufacturing both the State and Central
Governments should get GST from Supplier MSME and on delayed payment
from the buyer industries. If payment is not received by the MSME, the GST
account of the defaulter i.e, Buyer of goods and services be suspended and in
order to make payment and honour commitment the bank account should also
be frozen.

This strengthened system of ensuring payment of delayed Payment in
time would save crores of MSME’s in India. Minister of MSME, Government of
India has passed MSME Delayed Payment Act, 2016 but the proceeding
involve takes too much time for getting Recoveries for supply of materials and
payment pertaining to provided services. Approximately, 60% of the MSME’s
after Award from MSME Council could not get payment in time.
(xix) Regarding upgradation in pay structure of the supervisory staff of Indian Railways

DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): The Honorable Minister of Railways during his video conference on 16th November had categorically stated that all the supervisory staff of Indian Railways will receive the benefit of upgradation of pay structure from GP-Rs. 4,600/- to Rs.4,800/- and Rs.5,400/- but the same has not been accorded to all the supervisory officers of RPF till now. Essentially, some departments of the RPF have received this upgradation, while others have not. This is violative of the equality clause as envisioned under Article 14 of the Constitution of India. The Inspector cadre in RPF is vital for the Force and they work in the frontline 24x7 for ensuring the smooth running of the Railway system. Due to denial of the same, in addition to being deprived of timely promotion, they are also omitted from the upgradation of pay structure which, if implemented, could have provided a much needed relief to their promotional disappointments.

It is also to be noted that promotions have been stagnant in the Indian Railways. It is requested that this may also be looked into. Lack of timely promotions may have the effect of dejection and poor quality of work in the employees of the Indian Railways. As per Section 10 of RPF Act 1957, RPF personnel are treated as Railway employees and as such the above referred upgradation is also applicable to Railway Supervisory Officers. In the light of this, it is requested that the pay structure be upgraded and that pay be granted.
(xx) Regarding power dues of Andhra Pradesh to be received from Telangana.

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Post the bifurcation of the United Andhra Pradesh, the Andhra Pradesh Generation Corporation Limited (APGENCO) continued to supply power to Telangana till 10.06.2017 on the specific direction of the Central Government controlled POSOCO letter which was contrary to the decision taken by the Government of Andhra Pradesh. However, till date a sum of Rs. 6,886 crores awaits to be received from Telangana on account of the power supplied. In this regard, The Government of India, in the exercise of the powers granted under Section 92 of the AP Reorganisation Act, 2014, gave directions in the month of August this year, that the successor State of Telangana shall pay the appropriate sum to Andhra Pradesh within a period of 30 days. The order stated that there was no dispute regarding the amount to be paid for the power dues, the principal amount being Rs 3,441.78 crore, and late payment surcharge being Rs 3,315.14 crore (up to July 31, 2022) — to be paid in addition to the principal amount as per the applicable provisions. However, the Government of Telangana has not honoured the given directive. In view of the above, I request the Government to look into the matter.
(xxi) Need to enhance the quota of appointments on compassionate ground in companies carved out of Ordnance Factories

Shri Shri Ram Aapta Barane (Maval): The Ministry of Defence has recently notified the enhancement of appointment quota for compassionate grounds in the Ordnance Factories, which is scheduled to be implemented from 10/10/2021. The notification was issued in response to a proposal submitted by the Ministry of Defence during the 7th Central Pay Commission's recommendations. The Ministry has decided to increase the quota of appointments for compassionate grounds in the Ordnance Factories to ensure that the employees who have lost a family member due to compassionate grounds are provided with adequate opportunities for employment.

In the past, the quota for appointments on compassionate grounds was limited to 5% of the total strength of employees. However, in response to the recommendation of the 7th Central Pay Commission, the Ministry has decided to increase the quota to 10% of the total strength of employees in the Ordnance Factories. This decision is expected to provide a significant boost to the employees who have lost a family member due to compassionate grounds, ensuring that they are provided with adequate opportunities for employment.

The decision is a welcome step towards ensuring that the employees who have lost a family member due to compassionate grounds are provided with adequate opportunities for employment. The Ministry has also assured that the decision will be implemented with utmost speed to ensure that the employees are provided with adequate opportunities for employment.

At: The Ministry of Defence has decided to increase the quota for appointments on compassionate grounds in the Ordnance Factories to ensure that the employees who have lost a family member due to compassionate grounds are provided with adequate opportunities for employment. The Ministry has also assured that the decision will be implemented with utmost speed to ensure that the employees are provided with adequate opportunities for employment.
श्री चन्दनेश्वर प्रसाद (जहानाबाद): किसी शहर के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड उसके सांदर्भ का बड़ा पैमाना होते हैं | इस पैमाने पर जहानाबाद शहर काफी पिछड़ा प्रतीत होता है | शहर के रेलवे स्टेशन सामान्य यात्री सुविधा के अभाव का दंश झेल रहा है | हालांकि वर्ष 2014 में इसे मॉडल बनाने की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी | बजट में कई स्टेशनों को मॉडल बनाने की चर्चा हुई थी | जिसमें जहानाबाद भी प्रमुख रूप से शामिल था | इस दिशा में फिलहाल कोई कार्य नहीं हो सका | हालात यह है कि स्टेशन परिसर में अवैध तरीके से ऑटो स्टैंड बन गया है | परिसर में एक सार्वजनिक शौचालय भी उपलब्ध है लेकिन इसमें भी साफ सफाई का घोर अभाव है | प्लेटफार्म संख्या दो पर बनाए गए महिला- पुरुष यात्रियों के लिए अलग-अलग शौचालय की सुविधा है | लेकिन साफ सफाई के अभाव के कारण यह उपयोग लायक नहीं रह गया है | रेलवे द्वारा परिसर में अतिक्रमण कर संचालित दुकानों को हटाया तो जफर गया है लेकिन आठ चालकों की मनमानी आज भी जारी है | मॉडल स्टेशन के तहत स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया को विकसित करना, रेस्ट रुम, भेटिंग रुम, नहाने की सुविधा के साथ - साथ महिलाओं के लिए अलग से बेटिंग रुम, कंप्यूटर आधारित अनांशमेत, संकेतक, पे एंड यूज टायलेट, बाटर कूलर, प्लेटफार्म ऊंचे करना, एफओबी का निर्माण, सर्कुलेटिंग एरिया में रॅप आदि का निर्माण कर स्टेशनों को विकसित किया जाना था | लेकिन मॉडल योजना के तहत इन योजनाओं में से किसी का संचालन अभी तक इस स्टेशन में नहीं हो सका है | मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि जहानाबाद स्टेशन को मॉडल स्टेशन स्कीम के हिसाब से सभी यात्री सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दें |
(xxiii) Need to provide free electricity to farmers and interest free loans through Kisan Credit cards

श्री रामशिरोमणि वर्मा (शावस्ती): मैं सरकार का ध्यान देश के किसानों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आज हमारे देश का किसान बहुत परेशान है। किसानों की सबसे प्रमुख समस्या कृषि लागत में कई गुना बढ़ोतरी है। उदाहरण स्वरूप डी.ए.पी., यूरिया, पोटाश, बीज, कीटनाशक आदि के दामों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही साथ डीजल और बिजली की महंगाई की वजह से लागत भी बढ़ी है।

सरकार से मांग है कि किसानों की गम्भीर समस्याओं को देखते हुए अतिशीघ्र गन्ने का दाम लगभग 500 रुपए कुल मिलाते हैं जो हमारे संसदीय क्षेत्र के जनपद बलरामपुर में बजाज चीनी मिल में किसानों के गन्ने का बकाया राशि जल्द से जल्द से भुगतान कराये।

किसानों की फसलों का मूल्य भी लागत के अनुपात में बढ़ाया जाये। किसानों को निःशुल्क बिजली के साथ ही साथ किसानों के के.के.सी. लोन पर ब्याज फ्री किया जाए।
Regarding sanctioning of an Indian Institute of Science Education and Research (IISER) at Hyderabad

SHRI B.B. PATIL (ZAHIRABAD): The Government of India has started seven Indian Institutes of Science Education and Research (IISER) since 2006 as a part of the Higher and Technical Education Policy. However, Hyderabad was not given the opportunity. The Higher Education Research Eco-System in Hyderabad comprises Indian Institute of Technology (IIT), International Institute of Information Technology (IIIT), Indian Institute of Chemical Technology (IICT), National Geophysical Research Institute (NGRI), Centre for Cellular and Molecular Biology (CCMB), National Institute of Nutrition (NIN), Indian School of Business (ISB), etc., which would provide an excellent opportunity to nurture IISER, given its objective as a Centre of Excellence dedicated to the objectives of science and research in basic sciences.

Therefore, it is requested to sanction an IISER in Hyderabad, given the vast amount of research ecosystem available in the city with related institutes as the State Government is ready to provide the required and suitable land for the establishment of IISER.
(xxv) Need to develop Sikandarpur stadium in Muzaffarpur district as a world class cricket stadium

श्रीमती बीणा देवी (वैशाली): उत्तर बिहार का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र और शिक्षा का केन्द्र मुजफ्फरपुर जिले में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए सिकन्दरपुर स्टेडियम को विस्तारित कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाय । यह जिला स्मार्ट सिटी के लिए भी चयनित है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बन जाने से जिले का विकास तीव्र गति से होगा और सरकार को भारी राजस्व की प्राप्ति होगी ।
16.31 hrs.

JAN VISHWAS (AMENDMENT AND PROVISIONS) BILL, 2022*

माननीय सभापति: माननीय मंत्री - श्री पीयूष गोयल जी।

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY, MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI PIYUSH GOYAL): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend certain enactments for decriminalising and rationalising minor offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि जीवन यापन और कार्य करने की सुगमता के लिए विश्वास-आधारित शासन की ओर उद्देश्य करने के लिए छोटे अपराधों का निरापत्ताकरण और सुविधेयता करने हेतु कलिफ़ अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam, I introduce ** the Bill.

... (व्यवधान)

_* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.12.2022
** Introduced with the recommendation of the President._
वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा कव्स मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : सभापति महोदया, हमारे देश में ऐसे कई सारे कानून हैं, जिनमें छोटी-छोटी गलतियों के लिए लोगों को सजा दी जाती है, लोगों को कोर्ट्स के धक्के खाने पड़ते हैं, लोगों के ऊपर कानूनी कार्यवाही होती है |...(व्यवधान) हमारी सरकार का मानना है कि हमें लोगों पर विश्वास करना चाहिए, हमें लोगों पर भरोसा करना चाहिए |...(व्यवधान)

साधारणतः व्यापारी हो, आम जनमानस हो, वे एक ईमानदार व्यवस्था चाहते हैं। वे ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ईमानदारी से अपना उद्योग-कारोबार चलाते हैं। कभी-कभार उनसे गलती भी हो जाती है |...(व्यवधान) ऐसे में हमारा मानना है कि जो छोटी-छोटी गलतियां हैं, उसके लिए उनको कोर्ट्स में न जाना पड़े, इसके लिए हम ऐसे प्रावधान बनाएं, जिसमें अगर कोई गलती हो, तो व्यक्ति को दंड भी दिया जाए, लेकिन उसको समस्त न हो |...(व्यवधान)

वर्ष 2014 से ही हमारी सरकार लगातार जनता की जिजिय आसान बनाने के लिए अलग-अलग निर्णय लेती जा रही है। आपको ध्यान होगा कि सबसे पहला निर्णय सेल्फ अटेस्टेशन का लिया था, ताकि लोगों को नोटरी के पास न जाना पड़े, हम अपने स्वयं के सिनेचर से कार्यकाल को अटेस्ट कर सकें |...(व्यवधान) ऐसे ही जीएसटी जैसे नए कानून हैं, जिससे टेक्स के सिस्टम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने अन्य अलग-अलग काम किए हैं, उससे ईज ऑफ डूंगर बिजनेस और ईज ऑफ लिभिंग पर बड़ा धार गया है |...(व्यवधान)

हम चाहते हैं कि देश और विश्व भर के जो निवेशक भारत में आते हैं, उनको रेड टेप के बजाय रेड कार्पेट मिले। उसी के लिए हमने कई वर्षों से मेहनत की है |...(व्यवधान) ईज ऑफ डूंगर बिजनेस की रेंकिंग में हमें भी विश्व पटल पर हमारी जो रैंक 141 थी, वह आज 63 पर आ गई
Madam, I beg to move:

“That the Bill to amend certain enactments for decriminalising and rationalising minor offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of the following 21 Members from this House:-

1. Shri P.P. Chaudhary
2. Dr. Sanjay Jaiswal
3. Shri Uday Pratap Singh
4. Shri Sanjay Seth
that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee;
that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of second part of the Budget Session, 2023;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of the Members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

माननीय सभापित: प्रश्न यह है:

“That the Bill to amend certain enactments for decriminalising and rationalising minor offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of the following 21 Members from this House:

1. Shri P.P. Chaudhary
2. Dr. Sanjay Jaiswal
3. Shri Uday Pratap Singh
4. Shri Sanjay Seth
5. Shrimati Queen Oja
6. Shri Khagen Murmu
7. Shrimati Poonamben Maadam
8. Shrimati Poonam Mahajan
9. Shrimati Aparajita Sarangi
10. Shri Arvind Dharmapuri
11. Shri Rajendra Agrawal
12. Shri Rattan Lal Kataria
13. Shri Gaurav Gogoi
15. Shri A. Raja
16. Prof. Sougata Ray
17. Dr. Beesetti Venkata Satyavathi
18. Shri Gajanan Kirtikar
19. Shri Rajiv Ranjan alias Lalan Singh
20. Shri Pinaki Misra
21. Shri Girish Chandra

and 10 Members from the Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of second part of the Budget Session, 2023;
that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of the Members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
माननीय सभापति: कृपया आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सभी को वर्ष 2024 में आना है। आपके काम को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा जा रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप ऐसा मत कीजिए। आप हाउस को चलने दीजिए। शांति रखिए, शांति रखिए। यह अच्छी बात नहीं है। आप शांति बनाकर रखिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

16.40 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 23, 2022/ Pausha 02, 1944 (Saka).
INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in

http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)